



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 जनवरी, 2010 ई0
पौष 16, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 09/XXXVI(3)/2010/83(1)/2009
देहरादून, 06 जनवरी, 2010

अधिसूचना विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009’ पर दिनांक 05 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2010 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग (2009-10 का अनुपूरक) अधिनियम, 2009
(अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2010)

31 मार्च, 2010 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये-

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा
अधिनियमित-

1. यह अधिनियम उत्तराखण्ड विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) अधिनियम, संक्षिप्त नाम
2009 कहलायेगा।

उत्तराखण्ड की
समेकित निधि में
से वर्ष 2009-
10 के लिए
रु0 18156778000
का दिया जाना
विनियोग

2. ऐसे विविध परियोजना चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है, जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रु0 18156778000 (रुपये एक हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़ सरसठ लाख अठ्ठहत्तर हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

अनुपूरक आय-व्ययक 2009-2010

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या		सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
03	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	46245	0	46245
		पूँजी	0	0	0
04	न्याय प्रशासन	राजस्व	3	0	3
		पूँजी	0	0	0
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	370464	0	370464
		पूँजी	0	0	0
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	21597	0	21597
		पूँजी	11504	0	11504
08	आबकारी	राजस्व	8950	0	8950
		पूँजी	0	0	0
09	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	7950	7950
		पूँजी	0	0	0
10	पुलिस एवं जेल	राजस्व	1068748	0	1068748
		पूँजी	50000	0	50000
11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	2350197	0	2350197
		पूँजी	199143	0	199143
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	399773	0	399773
		पूँजी	153113	0	153113
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	2582952	0	2582952
		पूँजी	0	0	0
14	सूचना	राजस्व	2228	0	2228
		पूँजी	0	0	0
15	कल्याण योजनायें	राजस्व	329960	0	329960
		पूँजी	0	0	0
16	श्रम और रोजगार	राजस्व	54810	0	54810
		पूँजी	0	0	0
17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व	209990	0	209990
		पूँजी	0	0	0
18	सहकारिता	राजस्व	92218	0	92218
		पूँजी	42212	0	42212

1	2	3			
19	ग्राम्य विकास	राजस्व	276316	0	276316
		पूँजी	50000	0	50000
20	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	226706	0	226706
		पूँजी	466728	0	466728
21	ऊर्जा	राजस्व	5000	0	5000
		पूँजी	5720000	0	5720000
22	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	181500	0	181500
		पूँजी	2050000	0	2050000
23	उद्योग	राजस्व	40923	0	40923
		पूँजी	0	0	0
24	परिवहन	राजस्व	20380	0	20380
		पूँजी	1	0	1
25	खाद्य	राजस्व	37000	0	37000
		पूँजी	0	0	0
26	पर्यटन	राजस्व	10600	0	10600
		पूँजी	89800	0	89800
27	वन	राजस्व	151400	0	151400
		पूँजी	0	0	0
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	89953	0	89953
		पूँजी	5550	0	5550
29	औद्योगिक विकास	राजस्व	132041	50	132091
		पूँजी	0	0	0
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	296696	0	296696
		पूँजी	222181	0	222181
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	31896	0	31896
		पूँजी	50000	0	50000
योग		राजस्व	9038546	8000	9046546
		पूँजी	9110232	0	9110232
महायोग			18148778	8000	18156778

आज्ञा से,
राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Appropriation (Supplementary 2009-2010) Bill, 2009' (Adhiniyam Sankhya 01 of 2010).

No. 09/XXXVI(3)/2010/83(1)/2009

Dated Dehradun, January 06, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 05 January, 2010.

THE UTTARAKHAND APPROPRIATION (SUPPLEMENTARY 2009-2010) ACT, 2009

(Act No. 01 of 2010)

To authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty first day of March, 2010.

AN

ACT

It is Hereby enacted in the Sixtieth year of the Republic of India by the Uttarakhand State Legislative Assembly--

Short Title 1. This Act may be called the Uttarakhand Appropriation (Supplementary 2009-2010) Act, 2009.

Issue of Rs. 18156778000 out of the Consolidated Fund of Uttarakhand for the year 2009-2010 2. From and out of the Consolidated Fund of Uttarakhand, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in Column-3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 18156778000 (Rs. One Thousand Eight Hundred Fifteen Crores Sixty Seven Lakhs Seventy Eight Thousand only) towards defraying the several charges, which will come in course of payment during the year ending on the thirty first day of March, 2010 in respect of the services and purposes specified in column-2 of the Schedule.

Appropriation 3. The sums, authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of Uttarakhand by this Act, shall be appropriated for the services and purposes, expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2010.

SCHEDULE

SUPPLEMENTARY BUDGET 2009-2010

(See Section 2 and 3)

Grant/ Serial No.	Services and Purpose	Sums not exceeding (In thousands of Rupees)			Total
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund of the State		
1	2	3			
03	Council of Ministers	Revenue	46245	0	46245
		Capital	0	0	0
04	Judicial Administration	Revenue	3	0	3
		Capital	0	0	0
06	Revenue & General Administration	Revenue	370464	0	370464
		Capital	0	0	0
07	Finance, Tax, Planning, Secretariat & Miscellaneous Services	Revenue	21597	0	21597
		Capital	11504	0	11504
08	Excise	Revenue	8950	0	8950
		Capital	0	0	0
09	Public Service Commission	Revenue	0	7950	7950
		Capital	0	0	0
10	Police & Jail	Revenue	1068748	0	1068748
		Capital	50000	0	50000
11	Education, Sports, Youth Welfare & Culture	Revenue	2350197	0	2350197
		Capital	199143	0	199143
12	Medical, Health & Family Welfare	Revenue	399773	0	399773
		Capital	153113	0	153113
13	Water Supply, Housing & Urban Development	Revenue	2582952	0	2582952
		Capital	0	0	0
14	Information	Revenue	2228	0	2228
		Capital	0	0	0
15	Welfare	Revenue	329960	0	329960
		Capital	0	0	0
16	Labour & Employment	Revenue	54810	0	54810
		Capital	0	0	0
17	Agriculture Works & Research	Revenue	209990	0	209990
		Capital	0	0	0
18	Co-operative	Revenue	92218	0	92218
		Capital	42212	0	42212
19	Rural Development	Revenue	276316	0	276316
		Capital	50000	0	50000

1	2	3		
20	Irrigation & Flood	Revenue	226706	0
		Capital	466728	0
21	Energy	Revenue	5000	0
		Capital	5720000	0
22	Public Work	Revenue	181500	0
		Capital	2050000	0
23	Industries	Revenue	40923	0
		Capital	0	0
24	Transport	Revenue	20380	0
		Capital	1	0
25	Food	Revenue	37000	0
		Capital	0	0
26	Tourism	Revenue	10600	0
		Capital	89800	0
27	Forest	Revenue	151400	0
		Capital	0	0
28	Animal Husbandary	Revenue	89953	0
		Capital	5550	0
29	Horticulture Development	Revenue	132041	50
		Capital	0	0
30	Welfare of Scheduled Castes	Revenue	296696	0
		Capital	222181	0
31	Welfare of Scheduled Tribes	Revenue	31896	0
		Capital	50000	0
Total		Revenue	9038546	8000
		Capital	9110232	0
Grand Total			18148778	8000
				18156778

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
Secretary.